न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 13 / 2025	2025 / 15	29.01.2025	27.02.2025

1- M/S Piramal Capital & Housing Finace L.T.D Branch Office Unit 01&09, Ground Floor, Gd- Itl North Ex Tower Plot No a-9, Netaji Subhash Place New Delhi-110034

प्रार्थी

बनाम

1- Rani Kumari (Borrower)
Flat/House No. G- 123, Plot No. Sector- 3, Phase-2 Dwarka Nelhi-110075
Also At:- Office Address
Flat House No. Airport Authority of India Plot no. Rajeev Gandhi, Bhawan, Jor Bagh Near Jor Bagh, Metro Station New Delhi-110003

अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

——:: निर्णय ::——

प्राधिकृत अधिकारी, M/S Piramal Capital & Housing Finace L.T.D Branch Office Unit 01 & 09, Ground Floor, Gd-Itl North Ex Tower Plot No a-9, Netaji Subhash Place New Delhi-110034 की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है, कि प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्थान द्वारा अप्रार्थीया को दिनांक 31.03.2013 को 12,27,836/– रूपये (अक्षरेन बारह लाख सताईस हजार आठ सौ छत्तीस रूपये मात्र) का ऋण प्रदान किया था। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर साम्यिक बन्धक सम्पत्ति H/Flat No. R1 001, Floor No Ground, Krish City 2 Village Tapukara Teh. Tapukara जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान) स्थिति भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व Rani Kumari, प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्थान के समक्ष बन्धक रखी गई है। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तो के मुताबिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत पंजीकृत नोटिस मियादी 60 दिन दिनांक 27.05.2024 भेजा गया, परन्तु अप्रार्थीया ने ऋण राशि की अदायगी बैंक को नहीं की गयी। प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्थान ने उपरोक्त परिसम्पत्ति को नो परफोर्मिंग एसेट्स दिनाक 09.04.2024 को घोषित कर दिया है। जिससे बैंक के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति H/Flat No. R1 001, Floor No Ground, Krish City 2 Village Tapukara Teh. Tapukara जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान) स्थिति भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व Rani Kumari का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्थान को है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्थान ने नियमानुसार दिनांक 27.05.2024 को धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थीया को भिजवाया गया। बकाया 1227836/– रूपये (अक्षरेन बारह लाख

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

सताईस हजार आठ सौ छत्तीस रूपये मात्र) एवं इसके पश्चात् का ब्याज एवं अन्य खर्चे सहित नोटिस की तारीख के 60 दिन में भुगतान कर दें किन्तु समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी ऋण की अदायगी नहीं गई। जिससे अप्रार्थीया द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया जाना स्पष्ट है। सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्थान के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः सिक्यूरेटी के रूप में रखी गई सम्पत्ति H/Flat No. R1 001, Floor No Ground, Krish City 2 Village Tapukara Teh. Tapukara जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान) स्थिति भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व Rani Kumari का कब्जा प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्थान को दिलाया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्थान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्थान को सम्भलवाने के आदेश दिए जाते हैं। पारित निर्णय की प्रमाणित–प्रति तहसीलदार टपूकडा को भेजकर निर्देश दिए जाते है, कि रहन रखी गई सम्पत्ति H/Flat No. R1 001, Floor No Ground, Krish City 2 Village Tapukara Teh. Tapukara जिला खैरथल तिजारा (राजस्थान) स्थिति भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व Rani Kumari को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्थान को सम्भलवाया जावे। रहन रखी सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेंवे तथा कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु पारित निर्णय की प्रमाणित–प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्थान कब्जा लेने की तिथि व समय से पुलिस अधीक्षक भिवाडी को सूचित करें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा
(राजस्थान)

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राज०)